राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.1(1)न्याय/2020 जयपुर, दिनांक 31.10.2020

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेणी	अलवर	रेणी
2.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमराना	अलवर	नीमराना
3.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, छतरगढ	बीकानेर	छतरगढ
4.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू	जयपुर जिला	दूदू
5.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा	राजसमन्द	नाथद्वारा
6.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डेला	सीकर	खण्डेला

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत् संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

31.10.2020

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/05/2017/1487 **Date:19/11/2020**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Chief Judicial Magistrates.
4. Concerned Courts.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
6. A.O.J. Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur (for uploading the same on high court website).

REGISTRAR (RULES)

19/11/2020

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.1(1)न्याय/2020 जयपुर, दिनांक 31.10.2020

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 सपठित धारा 12 एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत् करते हुए पीठासीन अधिकारी के पदस्थापन की तिथि से स्थापित करती है-

क्र.सं.	न्यायालय का पूर्व नाम	क्रमोन्नत् न्यायालय का नाम	जिले का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4	5
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नांवा	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नांवा	नागौर (मेडता न्यायक्षेत्र)	नांवा
2.	अपर सिविल न्यायाधीश एवं अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, फागी	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फागी	जयपुर जिला	फागी

राज्यपाल के आदेश से,

31.10.2020

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/05/2017/1488 **Date:..19./11/2020**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Chief Judicial Magistrates.
4. Concerned Courts.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
6. A.O.J. Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur (for uploading the same on high court website).

19/11/2020

REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.1(1)न्याय/2020 जयपुर, दिनांक 31.10.2020

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्द्वारा, तुरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीशों के समक्ष विचाराधीन वादों को शीघ्र निपटाने हेतु कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है तथा इनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है-

क्र.सं.	जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां	अपर जिला न्यायाधीश, अटरू	अटरू
2.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा	अपर जिला न्यायाधीश, सिकराय	सिकराय
3.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम	अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 11, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	सांगानेर
4.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर	अपर जिला न्यायाधीश, सांचौर	सांचौर
5.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला	अपर जिला न्यायाधीश, बिलाडा	बिलाडा
6.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली	अपर जिला न्यायाधीश, देसूरी	देसूरी
7.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सिरोही	अपर जिला न्यायाधीश, पिण्डवाडा	पिण्डवाडा

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के अन्तर्गत् राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियाँ प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,
31.10.2020
(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/05/2017/1489 **Date: 19/11/2020**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Chief Judicial Magistrates.
4. Concerned Courts.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
6. A.O.J. Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur (for uploading the same on high court website).

19/11/2020
REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः-प.1(1)न्याय/2020 जयपुर, दिनांक 31.10.2020

अधिसूचना

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम द्वारा पारिवारिक न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु, एतद्द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के पारिवारिक न्यायालयों का सृजन एवं स्थापन करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 4, जयपुर	जयपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
2.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 5, जयपुर	जयपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का क्षेत्राधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

31.10.2020

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/05/2017/1490 **Date:19/11/2020**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Chief Metropolitan Magistrates.
4. Concerned Courts.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
6. A.O.J. Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur (for uploading the same on high court website).

19/11/2020

REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.1(1)न्याय/2020 जयपुर, दिनांक 31.10.2020

अधिसूचना

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (सन् 2012 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 32) की धारा 28 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (सन् 2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियमों के अधीन दण्डनीय अपराधों के विचारण हेतु निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित विशेष न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है, जिनका बैठक का स्थान कॉलम संख्या 3 एवं क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार होगा-

क्र.सं.	विशेष न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, संख्या 2, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरित किये गये प्रकरण

राज्यपाल के आदेश से,

31.10.2020

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/05/2017/.1491 **Date:.19./11/2020**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Chief Judicial Magistrates.
4. Concerned Courts.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
6. A.O.J. Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur (for uploading the same on high court website).

19/11/2020

REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः-प.1(1)न्याय/2020 जयपुर, दिनांक 31.10.2020

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर	अलवर	बानसूर
2.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर	भीलवाडा	रायपुर
3.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम	करौली	टोडाभीम
4.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 4, अलवर	अलवर	अलवर
5.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 5, अलवर	अलवर	अलवर

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत् संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

31.10.2020

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/05/2017/1492 **Date:19/11/2020**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Chief Judicial Magistrates.
4. Concerned Courts.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
6. A.O.J. Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur (for uploading the same on high court website).

19/11/2020

REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.1(1)न्याय/2020 जयपुर, दिनांक 21.10.2020

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1.	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 15, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय चाकसू	जयपुर महानगर प्रथम	चाकसू
2.	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 16, जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर
3.	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 17, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	जयपुर महानगर प्रथम	सांगानेर
4.	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 18, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	जयपुर महानगर प्रथम	सांगानेर
5.	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 19, जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर
6.	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 7, जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर
7.	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 8, जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत् संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,
21.10.2020
(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/05/2017/1493 **Date:19/11/2020**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Chief Metropolitan Magistrates.
4. Concerned Courts.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
6. A.O.J. Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur (for uploading the same on high court website).

19/11/2020
REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.1(1)न्याय/2020 जयपुर, दिनांक 31.10.2020

अधिसूचना

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 (सन् 1881 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 26) के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या 4, अजमेर	अजमेर	अजमेर

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत् संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

31.10.2020

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/05/2017/1494 **Date:19/11/2020**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Chief Judicial Magistrates.
4. Concerned Courts.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
6. A.O.J. Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur (for uploading the same on high court website).

19/11/2020

REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः-प.1(1)न्याय/2020 जयपुर, दिनांक 31.10.2020

अधिसूचना

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 (सन् 1881 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 26) के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या 14, जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर
2.	विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या 15, जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर
3.	विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या 16, जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर
4.	विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या 17, जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर
5.	विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या 18 , जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर
6.	विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या 19, जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर
7.	विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या 20, जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर

8.	विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या 21, जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर
9.	विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय संख्या 22, जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत् संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

31.10.2020

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/05/2017/1495 **Date:19/11/2020**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Chief Metropolitan Magistrates.
4. Concerned Courts.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
6. A.O.J. Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur (for uploading the same on high court website).

19/11/2020

REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.1(1)न्याय/2020 जयपुर, दिनांक 31.10.2020

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 20, जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर
2.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 21, जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर महानगर
3.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 22, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	जयपुर महानगर प्रथम	सांगानेर
4.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 23, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	जयपुर महानगर प्रथम	सांगानेर
5.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 19, जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर
6.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 20, जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर
7.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 21, जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर
8.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 22, जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर

9.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 23, जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर
10.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 24, जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर
11.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 25, जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर
12.	अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या 26, जयपुर महानगर द्वितीय मुख्यालय चौमू	जयपुर महानगर द्वितीय	जयपुर महानगर

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत् संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

31.10.2020

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/05/2017/1496 **Date: 19/11/2020**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Chief Metropolitan Magistrates.
4. Concerned Courts.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
6. A.O.J. Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur (for uploading the same on high court website).

19/11/2020

REGISTRAR (RULES)